भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2365

जिसका उत्तर 21 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

कोयला की आवश्यकता

2365. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
श्री राजू बिष्ट:
श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से देश के भीतर कोयले के उत्पादन का वर्तमान में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के भीतर कोयले की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू उत्पादन देश भर में कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कोयले की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या देश भर में कोयले की आवश्यकता वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) वर्ष 2019 से कोयले के आयात का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा सरकार द्वारा कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(च) क्या सरकार ने देश में कोयले की कमी की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है जिनके कारण बाजार/अर्थव्यवस्था में घबराहट पैदा हुई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : भारत में वर्ष 2019 से कोयले का राज्य-वार उत्पादन अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) (ग) और (घ): कोयले की मांग 2020-21 में 906.13 मि.ट. (मिलियन टन) से बढ़कर 2021-22 में 1027.92 मि.ट. हो गई है, अर्थात् 13.44% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 के लिए कोयले की आवश्यकता/मांग 1087 मि.ट. अनुमानित की गई है जो 2021-22 की वास्तविक मांग से 5.75% अधिक है।

वर्ष 2020-2021 में 716.083 मि.ट. की तुलना में वर्ष 2021-2022 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 778.19 मिलियन टन (मि.ट.) था। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष में नवंबर, 22 तक, देश में लगभग 524.2 मि.ट. कोयले का उत्पादन हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान लगभग 448.1 मि.ट. की तुलना में लगभग 17% की वृद्धि थी। देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

I. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की खानों से वर्धित कोयला उत्पादन - मौजूदा खानों की क्षमता के साथ-साथ नई खानों/परियोजनाओं के प्रचालन, दोनो में वृद्धि।
II. वाणिज्यिक कोयला खानों से अधिक उत्पादन।
III. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन ताकि अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयले सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने के लिए कैप्टिव खान मालिकों (परमाणु खनिजों से भिन्न) को सक्षम बनाया जा सके।
IV. फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, रेल परियोजनाओं और कोयले की एकीकृत लाजिस्टिक आवाजाही के माध्यम से कोयला लाजिस्टिक का समग्र सुधार।
V. बड़े पैमाने पर संवर्धित उत्पादन प्रौद्योगिकियों को शामिल करना और प्रचालन के डिजिटलीकरण तथा ईआरपी की शुरूआत के साथ खानों की दक्षता में वृद्धि करना।
VI. कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित निगरानी।
VII. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन हेतु मंजूरी की सुविधा के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली।

(ङ.) : वर्तमान आयात नीति के अनुसार, कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत रखा गया है और उपभोक्ता लागू शुल्क के भुगतान पर अपने संविदात्मक मूल्यों के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। 2019 से आयातित कोयले और इसकी लागत का विवरण अनुबंध-2 के रूप में संलग्न है। उपरोक्त उत्तर (ख) से (घ) में उल्लिखित कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपायों के अलावा, देश में कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के मुद्दों का समाधान करने के लिए, एक अंतर-मंत्रालयी उप समूह जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

(सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधि शामिल हैं, विद्युत संयंत्रों में महत्वपूर्ण कोयला भंडार की स्थिति के कम होने सहित विद्युत संयंत्रों से संबंधित किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के साथ-साथ तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने हुतु नियमित रूप से बैठक करते हैं। इसके अलावा, कोयले की आपूर्ति और विद्युत उत्पादन क्षमता की वृद्धि की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सचिव, कोयला मंत्रालय, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं। सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और सीईए के अध्यक्ष को आईएमसी द्वारा आवश्यक होने पर विशेष आमंत्रितों के रूप में सहयोजित किया जाता है। कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से कोयले के प्रेषण की भी नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

(च) : कोयले की कमी के बारे में झूठे प्रचार से निपटने के लिए एक जवाबी उपाय के रूप में, कोयला मंत्रालय ने अधिकतम सार्वजनिक पहुंच के लिए पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से तथ्यात्मक स्थिति पर सूचना का प्रसार किया था।

*****

अनुबंध-1

वर्ष 2019 से भारत में राज्य-वार कोयला उत्पादन

क्र. सं.	राज्य	(सभी आंकड़े मि.ट. में)			
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अक्तूबर तक)*
1	असम	0.52	0.04	0.03	0.092
2	छत्तीसगढ़	157.75	158.41	154.12	82.853
3	जम्मू और कश्मीर	0.01	0.01	0.01	0.007
4	झारखण्ड	131.76	123.43	130.11	74.444
5	महाराष्ट्र	54.75	47.44	56.53	25.034
6	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
7	मध्य प्रदेश	125.73	132.53	137.95	82.105
8	ओडिशा	143.02	154.15	185.07	117.518
9	तेलंगाना	65.70	52.60	67.23	35.735
10	उत्तर प्रदेश	18.03	17.02	18.07	12.840
11	पश्चिम बंगाल	33.61	30.46	29.07	17.700

*अनंतिम

अनुबंध-2

वर्ष 2019 से भारत में कोयला, कोक और अन्य कोयला उत्पादों का आयात

(मात्रा मि.ट. तथा मूल्य मिलियन रूपए में)

वर्ष	कोकिंग कोयला		गैर-कोकिंग कोयला		कुल कोयला		कोक एवं कोयला उत्पादन	
	मात्रा	मूल्य (रूपए)	मात्रा	मूल्य (रूपए)	मात्रा	मूल्य (रूपए)	मात्रा	मूल्य (रूपए)
2019-20	51.833	612668.324	196.704	914652.229	248.537	1527320.552	4.931	120644.850
2020-21	51.198	453552.101	164.054	706688.439	215.251	1160240.540	2.457	44688.590
2021-22	57.161	1029958.472	151.773	1257459.992	208.934	2287418.464	2.481	80519.140
2022-23*	28.706	915158.9	103.201	1398625.1	131.905	2313784.02	1.446	62406.64

*सितम्बर, 2022 तक (अनंतिम)